

शपथ-पत्र

नियम-39 (1) (क) (अभ्यर्थी/प्रस्तावक)

मैं..... पिता/पति उम्र
 वर्ष, जो ग्राम थाना जिला
, बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मेरा नाम निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5

कि मैं सिर्फ जिला, प्रखंड

के ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची, जिसमें मेरा नाम दर्ज है, के मतदाता के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मताधिकार का उपयोग करूँगा तथा मैं किसी अन्य पंचायत, जिसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में भी मेरा नाम दर्ज है, में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अथवा मतदाता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग नहीं करूँगा।

कि निर्वाचन के उपरान्त मतदाता घोषणा पत्र में अंकित हलफनामा गलत पाया गया और अकाट्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि किसी दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (पंचायत/नगरपालिका) में पूर्व से दर्ज नाम को जानबूझकर छिपाया गया है अथवा उसे विलोपित करने हेतु आवेदन संवीक्षा के पूर्व विहित प्रपत्र में नियमानुसार नहीं दिया गया है, तो एक ही समय में एक साथ दो स्थानों पर अर्हता के सह-अस्तित्व के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 135 के तहत अर्जित अर्हता शून्य समझी जाएगी एवं मतदाता होने की अर्हता से संबंधित दावा मान्य नहीं होगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक -

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लिया जायेगा।